कार्यालय अधिशाषी अभियंता सतर्कता गुण नियंत्रण एवं तकनीकी परीक्षक खण्ड द्वितीय इ.गा.न.प. फलोदी

क्रमांक – 739 दिनांक :– 21/01/2019

नीलामी सूचना सं 1 वर्ष 2018–19

राजस्थान के राज्यपाल की ओर से निम्नलिखित अनुपयोगी वाहनों की जो कि "जैसा है, जहां है" के आधार पर बिक्री हेतु अधिकतम दर पर खुली बोली आमंत्रित की जाती है। नीलामी हेतु अधिशाषी अभियन्ता, सतर्कता गुण नियंत्रण एवं तकनीकी परीक्षक खण्ड द्वितीय, इगानप फलौदी के कार्यालय में दिनांक 20.02.2019 को प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक बोली लगाने हेतु पंजीकरण शुल्क रू. 1400/– प्रति बोलीदाता द्वारा प्रत्येक लॉट के लिऐ अपने नाम से जमा करवाकर टोकन प्राप्त किये जा सकेंगें। बिना टोकन के बोली में भाग नहीं लिया जा सकेगा। नीलामी की बोली सभी अधिकृत अधिकारियों की समिति क समक्ष दिनांक 20.02.2019 को दोपहर 12.00 बजे से सांय 2.00 बजे तक लगाई जावेगी तथा प्रति बोली लॉट क क्रम के अनुसार ही होगी। उच्चतम बोलीदाता द्वारा तत्समय ही बोली की 25 प्रतिशत जमा करवानी होगी। यह नीलामी सूचना राजथान सरकार के सूचना विभाग की साईट www. diproonline.org पर देखी जा सकती है।

बोलीदाताओं द्वारा बोली की शेष 75 प्रतिशत राशि मय सभी प्रकार के कर इत्यादि नियम एवं शर्तो के अनुसार नकद अथवा डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप मे इस कार्यालय मं जमा करवानी होगी। किसी भी कारणों / परिस्थिति पर नीलामी की समिति को बोली निरस्त करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित होगा।

लॉट सं	सामान का विवरण	मात्रा	अनुमानित राशि	बयाना राशि	स्थान
1.	जिप्सी सं आरआरएफ 4523	1	30000.00	700	इन्दिरा गांधी नहर कॉलोनी फलौदी परिसर
2.	डीजल जीप आर आर एफ 7836	1	26500.00	700	
	कुल राशि रू		**56500.0**		

नोट : सभी नियम व शर्ते कार्यालय में देखी जा सकती है।

अधिशाषी अभियन्ता,
सतर्कता गुण नियंत्रण एवं तकनीकी परीक्षक
खण्ड द्वितीय इगानप फलोदी

–: बोली हेतु नियम एवं शर्ते :–

1. दिनांक 20.02.2019 को सुबह 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक निर्धारित पंजीकरण शुल्क जमा करवाकर पंजीकरण टोकन प्राप्त किये जा सकेंगें।
2. **बोली लगाने का स्थान** :– दिनांक 20.02.2019 को सुबह 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक इन्दिरा गांधी नहर कॉलोनी फलौदी परिसर।
3. उच्चतम बोलीदाता द्वारा बोली गई राशि का 25 प्रतिशत पंजीकृत राशि को सम्मिलित करते हुए राशि यथास्थान जमा करवानी होगी, अन्यथा पंजीकरण राशि जब्त करते हुए बोली निरस्त कर दी जोवगी, तथा शेष राशि मय सभी प्रकार के कर इत्यादि बोली की तिथि से 21 दिन के भीतर जमा करवानी होगी।
4. यदि उच्चतम बोलीदाता द्वारा किन्ही भी अपरिहार्य कारणों द्वारा पंजीकरण एवं अग्रिम राशि से बकाया 75 प्रतिशत की राशि बोली की तिथि से 21 दिन की अवधि में जमा नहीं करवाने की स्थिति में बोलीदाता द्वारा समयावधि बढाने की लिखित में निवेदन करना होगा तथा बढाई गई अवधि हेतु बोली की शेष राशि पर 20 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज सहित जमा करवानी होगी अन्यथा राशि जब्त कर ली जावेगी।
5. पूर्ण राशि जमा करवाने के पश्चात सुपुर्दगी आदेश देने पर सामग्री 15 दिवस के अन्दर परिसर से उठानी होगी अन्यथा प्रति अतिरिक्त दिवस के लिए कुल बोली की राशि का 18 प्रतिशत वार्षिक दर से भण्डारण शुल्क जमा करवाना होगा।
6. यदि उच्चतम बोलीदाता द्वारा 25 प्रतिशत राशि जमा नहीं करवाई जाती है तो टोकन राशि जब्त कर द्वितीय उच्चतम बोलीदाता से समझौता वार्ता करने के लिए द्वितीय उच्चतम बोलीदाता की टोकन राशि रोकी जा सकेगी।
7. सामग्री की सुपुर्दगी आदेश से पूर्व सभी प्रकार के कर इत्यादि (बिक्री आयकर, जीएसटी) नियमानुसार जमा करवानें होंगे।
8. सामग्री (वाहनों) के सुपुर्दगी से पूर्व कार्यालय मं 100 रू. के मुद्रांक पर एक शपथ पत्र जो नोटेरी से सत्यापित हो जमा करवाना होगा तथा यातायात विभाग में वाहनो के पंजीकरण स्थानान्तरण एवं बीमा संबंधी सभी प्रकार के शुल्क बोलीदाता द्वारा अपने स्तर पर जमा करवाने होंगे। इस कार्यालय द्वारा मात्र प्रपत्र 26 से 29 तक (वाहन स्थानान्तरण / बेचान) ही हस्ताक्षरित करके दिये जावेंगें।
9. जमा करवाई जाने वाली सभी प्रकार की राशि के मुद्रा (बनततमदबल दवजम) का पूर्ण विवरण बनाकर देना होगा तथा उसकी सत्यता संबंधी सभी जिम्मेवारी जमाकर्ता की होगी।
10. बोली के समय सभी प्रकार के आचरण विधि एवं व्यवस्था सहिंता का पालन करना होगा।
11. बोली लॉट के क्रम के अनुसार ही लगाई जावेगी।

अधिशाषी अभियन्ता,
सतर्कता गुण नियंत्रण एवं तकनीकी परीक्षक
खण्ड द्वितीय इगानप फलोदी